

म.प्र उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

फॉर्म- डी
अस्वकृति आदेश
(कृपया नियम 4(2) देखें)

No.RTIA/DR-HCIND/ 2061
द्वारा,

Indore, Dated 12.09.2017

डिप्टी रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर


प्रति,

श्री विजय सिंह यादव,
पिता श्री रामसिंह यादव,
40, लक्ष्मी नगर, रलेश्वर रोड,
रतलाम (म.प्र.)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आई. डी. संख्या 40/2017-18 में पंजीकृत है तथा आवक क्र. 2521 दिनांक 06.09.2017 के माध्यम से प्राप्त हुआ है के सम्बंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) के अनुसार एक नागरिक आवेदक को 50/- रु शुल्क का भुगतान भारतीय न्यायिक स्टाम्प/ट्रेजरी चालान संलग्न करके फॉर्म 'ए' पर आवेदक की स्वयं की स्व: हस्ताक्षरित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर ए में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तथा अपनी स्व: हस्ताक्षरित तस्वीर भी नहीं चिपकाई है और साथ ही 50 रु. भारतीय गैर-न्यायिक स्टाम्प/चालान संलग्न करने में भी विफल रहे हैं।
- 2- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2006 के नियम 3 (1) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाना चाहिए, जबकि आपके द्वारा कई सूचनाएं मांगी गई हैं।
- 3- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) (बी) के अनुसार आवेदन में स्पष्ट और विशिष्ट विवरण नहीं दिए गए हैं।
- 4- आपके द्वारा प्रस्तुत सूचना के अधिकार सम्बंधित आवेदन पत्र से यह स्वतः स्पष्ट प्रतीत होता है की यह मामला पुलिस अधीक्षक, रतलाम से संबंधित है जो की इस खण्डपीठ के राज्य लोक सूचना अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इस प्रकार, अधोहस्ताक्षकर्ता के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने पर इसे खारिज किया जा रहा है

सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, इन्दौर) को अपील कर सकते हैं।


(राजेश शर्मा)
डिप्टी रजिस्ट्रार/
राज्य लोक सूचना अधिकारी